बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../ 　　　पटना, दिनांक..........................

संसं०–03/उ०नि०/विविध(शुल्क)–15/2018

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के परिसर में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण Nomination के आधार पर इंटेक (INTACH), नई दिल्ली से कराने एवं पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में इंटेक (INTACH) से Negotiated दर पर ₹58.64683 लाख (अनठावन लाख चौसठ हजार छः सौ तेरासी रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं ₹43.64683 लाख (तेतालीस लाख चौसठ हजार छः सौ तेरासी रूपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के परिसर में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण Nomination के आधार पर इंटेक (INTACH), नई दिल्ली से कराने एवं पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में इंटेक (INTACH) से Negotiated दर पर ₹58.64683 लाख (अनठावन लाख चौसठ हजार छः सौ तेरासी रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं ₹43.64683 लाख (तेतालीस लाख चौसठ हजार छः सौ तेरासी रूपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. क्राफ्ट केन्द्र में भवन निर्माण एवं हैरिटेज ब्लॉक का भी निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इंटेक, नई दिल्ली से देश भर के विभिन्न राज्यों मे हेरिटेज बिल्डिंग्स के रेस्टोरेशन कार्य का विस्तृत अनुभव के साथ–साथ सांस्कृतिक धरोहर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं। क्राफ्ट केन्द्र का निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं उसकी विशिष्टता प्रस्तुत डी०पी०आर० के अनुरूप बनी रहे, को ध्यान में रखते हुये **दिनांक 18.07.2017 को मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में** सम्पन्न बैठक में प्रस्तावित क्राफ्ट केन्द्र का पर्यवेक्षण Indian Nation Trust for Art & Cultural Heritage, (INTACH), New Delhi से कराने का निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 तक सम्भावित है।

3. इंटेक, नई दिल्ली को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु पूर्व में विभागीय राज्यादेश सं० 4334, दिनांक 16.10.2014 द्वारा ₹15.00 लाख राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिसे घटाने के बाद ₹43,64,683.00 (तेतालीस लाख चौसठ हजार छः सौ तेरासी रूपये) मात्र का व्यय/भुगतान अथवा परियोजना लागत के वास्तविक व्यय के आधार पर (other Charges & operation and maintenance राशि को छोड़कर) किया जायेगा।

4. पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान प्रस्तावित क्राफ्ट केन्द्र के निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जायेगी।

5. राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष 0142–प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड 23–2852801020142, विषय शीर्ष–0142.28.03 कन्सल्टेन्सी मद से उपबंधित राशि से विकलित होगा। जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

6. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, पटना के पी०एल० खाता नम्बर P.L.A–277 में उपलब्ध करायेंगे।

7. इस राशि के निकासी बी०टी०सी० फार्म सं०–46 पर की जायेगी।

क्रमशः पृष्ट–02

8. इस राशि को उद्योग निदेशक के निदेशानुसार समय–समय पर इंटेक, नई दिल्ली को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में भुगतान की जायेगी।

9. इस योजना के मुख्य निगंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–04.12.2018 में मद सं0–17 में स्वीकृति संचिका संख्या–*सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(शुल्क)–15/2018* के **पृष्ट–23/टि0** पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(शुल्क)–15/2018* के **पृष्ट–26/टि0** पर दिनांक–13.12.2018 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
पटना, दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(शुल्क)–15/2018

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
पटना, दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(शुल्क)–15/2018

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4604 /
पटना, दिनांक 18.12.18
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(शुल्क)–15/2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना/अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा के निजी सहायक/जिला योजना पदाधिकारी, नालन्दा/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियन्ता, संरचना प्रमण्डल सं0–2, भवन निर्माण विभाग, पटना/ बजट शाखा, उद्योग विभाग/प्रधान निदेशक, इंटेक 71, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली–110003/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–3(उ0नि0)/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive suneet Dharmendra sir Sanction Order/2015-16---------207